A((RS)

13/07/2020

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/रजस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, कानपुर नगर।

पत्रांक– /अधि0/स0सु0/2020

दिनांक:जुलाई 01, 2020

अधिसूचना

केन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम,1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा–112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों/विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबन्धित किया जा सकता है–

जहां उक्त अधिनियम की धारा–112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली–1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या–1377 दिनांक 06.04.2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्रावधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है,

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या–59, 1988) की धारा 122 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम–178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कानपुर जनपद से होकर निकलने/चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में स्थित मार्गों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है–

क्र0सं0	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहां से कहां तक) जहां गति निबंधित रहेगी	यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा			
			टू व्हीलर/थ्री व्हीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यात्रीयान	चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यात्रीयान	समस्त मालयान एवं स्तंभ 4,5 एवं 6 को छोड़कर अन्य समस्त यात्री यान
1	2	3	4	5	6	7
1	कानपुर–पाली वाया बाबूपुरवा, चकेरी मार्ग (अ0जि0मा0)	रामादेवी से अहिरवां, चकेरी	40 कि0मी0 प्रतिघंटा	40 कि0मी0 प्रतिघंटा	40 कि0मी0 प्रतिघंटा	40 कि0मी0 प्रतिघंटा

1664

2	बारादेवी (कानपुर)–जहानाबाद वाया रमईपुर, मंझावन मार्ग (अ0जि0मा0)	रमईपुर से मंझावन, फत्तेपुर, सेनगांव, साढ़, गोपालपुर, बिरहर	40 कि0मी0 प्रतिघंटा	40 कि0मी0 प्रतिघंटा	40 कि0मी0 प्रतिघंटा	40 कि0मी0 प्रतिघंटा
3	बारादेवी (कानपुर)–घाटमपुर वाया रमईपुर, मंझावन, साढ़, भीतरगांव मार्ग (अ0जि0मा0)	रमईपुर से मंझावन, साढ़, भीतरगांव, घाटमपुर	40 कि0मी0 प्रतिघंटा	40 कि0मी0 प्रतिघंटा	40 कि0मी0 प्रतिघंटा	40 कि0मी0 प्रतिघंटा
4	किसान नगर–बिधनू मार्ग (अ0जि0मा0)	सीटी–3 सेन से पश्चिमपारा	40 कि0मी0 प्रतिघंटा	40 कि0मी0 प्रतिघंटा	40 कि0मी0 प्रतिघंटा	40 कि0मी0 प्रतिघंटा
5	घन्टाघर–बकेवर मार्ग (अ0जि0मा0)	टाटमिल से कुड़नी, मुसाफा, नरवल, भैसौली	40 कि0मी0 प्रतिघंटा	40 कि0मी0 प्रतिघंटा	40 कि0मी0 प्रतिघंटा	40 कि0मी0 प्रतिघंटा
6	कानपुर–झींझक मार्ग (अ0जि0मा0)	कल्यानपुर से बैरी, शिवली	40 कि0मी0 प्रतिघंटा	40 कि0मी0 प्रतिघंटा	40 कि0मी0 प्रतिघंटा	40 कि0मी0 प्रतिघंटा
7	कानपुर–रसूलाबाद मार्ग (अ0जि0मा0)	कल्यानपुर से शिवली	40 कि0मी0 प्रतिघंटा	40 कि0मी0 प्रतिघंटा	40 कि0मी0 प्रतिघंटा	40 कि0मी0 प्रतिघंटा
8	कानपुर रामादेवी–सिकठिया पुरवा मार्ग (एन0एच0ए0आई0–19)	अहिरवां चकेरी से रूमा, महाराजपुर, सरसौल, सिकठिया पुरवा	40 कि0मी0 प्रतिघंटा	40 कि0मी0 प्रतिघंटा	40 कि0मी0 प्रतिघंटा	50 कि0मी0 प्रतिघंटा
9	कानपुर–बिल्हौर कन्नौज मार्ग सं0–40 (एन0एच0–34)	नारामऊ, से मंधना, चौबेपुर, शिवराजपुर, बिल्हौर	40 कि0मी0 प्रतिघंटा	50 कि0मी0 प्रतिघंटा	50 कि0मी0 प्रतिघंटा	50 कि0मी0 प्रतिघंटा
10	कानपुर–झांसी मार्ग (एन0एच0ए0आई0–34)	भौती से सचेण्डी, किसान नगर	40 कि0मी0 प्रतिघंटा	50 कि0मी0 प्रतिघंटा	50 कि0मी0 प्रतिघंटा	60 कि0मी0 प्रतिघंटा
11	कानपुर सजेती–हमीरपुर (एन0एच0ए0आई0–34)	रमईपुर से बिधनू, पतारा, घाटमपुर, सजेती	40 कि0मी0 प्रतिघंटा	50 कि0मी0 प्रतिघंटा	50 कि0मी0 प्रतिघंटा	50 कि0मी0 प्रतिघंटा

उपरोक्त प्रतिबंध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा–

(1) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनो छोर–प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी आई0आर0सी0 कोड के मानक अनुसार संबंधित संड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिये अंको का लेखन रेडियम पट्टी से किया जायेगा।

(2) उक्त प्रतिबंध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा–

अ) अग्नि शमन वाहन।

ब) एम्बुलेंस।

स) पुलिस वाहन।

द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन।

य) प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन के लिये प्रयुक्त वाहन।

(3) उपरोक्त तालिका के कॉलम–3 में उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गों के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा–112 की उप धारा(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1377, दिनांक 06.04.2018, समय–समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

आज्ञा से,

(उदयवीर सिंह)

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद कानपुर नगर।

पु0सं0–343/अधि0/स0सु0/2020 समदिनांकित–

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. परिवहन आयुक्त, उ0प्र0
2. अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), यातायात निदेशालय, उ0प्र0
3. जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर
5. निदेशक, छपाई एवं मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ, को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
6. अधिषाशी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड/निर्माण खण्ड–2/भवन/एन0एच0/प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कानपुर नगर।
7. परियोजना निदेशक, एन0एच0ए0आई0 कानपुर नगर।
8. राष्ट्रीय राजमार्ग, कानपुर नगर।

01.7.2020

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद कानपुर नगर।